गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक एफ 1/70/भापुसे/2001/6939.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 16-06-2008 से 05-07-2008 तक कुल 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 14 एवं 15 जून 2008 तथा दिनांक 06 जुलाई 2008 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़ रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 1-119/राजस्व/राहत/2007.—आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (क्रमांक 53, सन् 2005) की धारा 20 सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/राजस्व/राहत/2006, दिनांक 29 दिसम्बर 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"राज्य कार्यपालिक समिति" निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन अध्यक्ष
(ख)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	पदेन सदस्य
(ग)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
(घ)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
(ङ)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	पदेन सदस्य

Raipur, the 2nd July 2008

F No. 1-119/Revenue/Relief/2007.—In exercise of the powers conferred by Section 20 read with section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) and in Supersession of this Department Notification F. No. 1-20/Revenue/Relief/2006, dated 29 December 2007, the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Disaster Management Rules, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,

for clause (1) of sub-rule (1) of rule-8, the following clause shall be substituted :—

"State Executive Committee" shall be consist of the following :—

(i)	Chief Secretary Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Chairperson
(ii)	Secretary Government of Chhattisgarh, Department of Health & Family Welfare.	Ex-Officio Member
(iii)	Secretary Government of Chhattisgarh Home Department	Ex-Officio Member
(iv)	Secretary Government of Chhattisgarh Finance Department	Ex-Officio Member
(v)	Secretary Government of Chhattisgarh Revenue Disaster Management Department.	Ex-Officio Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, उप-सचिव.

कृषि (मछलीपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2008

क्रमांक एफ 1-6/07/36/स्था.—राज्य शासन एतद्द्वारा मछलीपालन विभाग में संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग से संचालक, मत्स्योद्योग के पद पर पदोन्नति हेतु भरती नियम में निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 02 वर्ष में कम पड़ रही अवधि की छूट एक बार देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है. भविष्य के लिए यह छूट पूर्वोदाहरण नहीं होगी.

2. उक्त स्वीकृति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यू. ओ. क्रमांक 388, दिनांक 11-06-2008 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2008

क्रमांक एफ-1-7/36/स्था/2008.—राज्य शासन नवगठित जिला बीजापुर के जिला कार्यालय हेतु निम्नांकित 07 पदों के सृजन की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
(1).	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	8000-275-13500	01
2.	मत्स्य निरीक्षक	3500-80-4700-100-5200	02
3.	सहायक वर्ग-दो	4000-100-6000	01